

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग  
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या \*103

जिसका उत्तर 6 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत संवितरण

\*103. श्री सौमित्र खान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में ऋणों के संवितरण की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2021 तक लाभार्थियों की संख्या कितनी है और ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या पश्चिम बंगाल के लिए इस संबंध में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

“प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत संवितरण” के संबंध में श्री सौमित्र खान द्वारा पूछे गए दिनांक 06.12.2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*103 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): दिनांक 29.10.2021 की स्थिति के अनुसार, अप्रैल, 2015 में योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में 1.33 लाख करोड़ रुपए की राशि के 3.17 करोड़ से अधिक ऋणों का संवितरण किया गया है।

(ख): अप्रैल, 2021 तक इस योजना के अंतर्गत 15.52 लाख रुपए के 29.56 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर किए गए हैं।

(ग) और (घ): केवल पीएमएमवाई के अंतर्गत सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई) अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा मंजूर की जाने वाली राशि हेतु वार्षिक लक्ष्य आवंटित करती है। इस योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष (एफवाई) के लिए एमएलआई हेतु 3.00 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

\*\*\*\*\*